रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936
No. 372] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 510(अ).—केंन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 24 क में-

(क) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) यदि खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर किये गये आवेदन को पट्टा समाप्ति तिथि से पहले राज्य सरकार द्वारा नहीं निपटाया जाता है तो उस पट्टे की अवधि को दो और वर्षों की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा उस पर आदेश दिया जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित माना जायेगा ।

परंतु पट्टे, जिनमें खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया गया है और पट्टे की समाप्ति की तारीख से पूर्व राज्य सरकार द्वारा उनका निपटान नहीं किया गया है तथा इस संशोधन की अधिसूचना की तारीख को निपटान के लिए लंबित है, को इस संशोधन के लागू होने की तारीख से दो और वर्षों की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा उस पर आदेश पारित करने या प्रथम नवीकरण के लिए अनुज्ञात अधिकतम अवधि की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित माना जाएगा:

परंतु यह भी कि इस उप-नियम के प्रावधान खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत नवीकरण पर लागू नहीं होंगे ।"

(ख) उप-नियम (9) में शब्दों "अथवा प्रथम नवीकरण के लिए अनुज्ञात अधिकतम अवधि की समाप्ति की तिथि, जो भी पहले हो ।" को अंत में अंत:स्थापित किया जाए ।

[फा.सं. 7/2/2012-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

टिप्पण: खनिज रियायत नियम, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 1398, तारीख 26 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ), तारीख 26 जुलाई, 2012 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

G.S.R. 510(E).— In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in Rule 24A, -

   (a) For sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(6) If an application for first renewal of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (1) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period of two years or till the State Government passes order thereon, whichever is earlier:

   Provided that the leases where applications for first renewal of mining lease have been made to the State Government and which have not been disposed of by the State Government before the date of expiry of lease and are pending for disposal as on the date of the notification of this amendment, shall be deemed to have been extended by a further period of two years from the date of coming into force of this amendment or till the State Government passes order thereon or the date of expiry of the maximum period allowed for first renewal, whichever is the earliest:

Provided further that the provisions of this sub-rule shall not apply to renewal under sub-section (3) of Section 8 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).".

(b) in sub-rule (9), the words "or the date of expiry of the maximum period allowed for first renewal, whichever is earlier." shall be inserted at the end.

[F. No.7/2/2012-M.VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Note: - The Mineral Concession Rules were published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 1398, dated the 26th November, 1960 and lastly amended *vide* notification No. G.S.R. 593(E), dated the 26th July, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.